

चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर  
सामान्य प्रशासन शाखा

पृष्ठांकन संख्या. क्यू.एस.डी.८-२८/२०१७/सी.एस.के.हि.प्र.कु.वि. (सा.प्र.)/-

39433-52

दिनांक: पालमपुर

10 AUG 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना करना सुनिश्चित करें :-

1. समस्त संविधिक अधिकारी, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
2. सह निदेशक सूचना एवं जन-संपर्क, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
3. उप कुलसचिव स्थापना / शैक्षणिक / भर्ती शाखा, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
4. प्रभारी, विधि प्रकोष्ठ, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
5. कुलपति / कुलसचिव महोदय के निजी सचिव, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय नेटवर्क सिस्टम, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।
7. समस्त व्यवहृति सहायक, सामान्य प्रशासन शाखा ।

अनुभाग अधिकारी (सा० प्र०)  
चौ०स०कु० हि० प्र० कृषि विश्वविद्यालय,  
पालमपुर ।



भाषा एवं संस्कृति विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

संख्या: भासनि-3/99- हिन्दी दिवस-II-16920-72-दिनांक

सेवा में



उप कुलपति  
योगेश्वरी सराण कुमार हबि विवविद्यालय  
प्रा.ल.प.प. ताला. काला

विषय:

प्रशासन में हिन्दीकरण सम्बन्धी रिपोर्ट-पुरस्कार।

महोदय,

आपको विदित ही है कि हिमाचल प्रदेश में हिन्दी भाषा का सरकारी कामकाज में बढ़ावा देने तथा इसके प्रयोग के आशय से सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम 1975 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी, 1978 से प्रदेश में समस्त प्रशासनिक कार्य हिन्दी में किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि सरकारी नितियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए शासन में हिन्दी का प्रयोग किया जाए ताकि आम आदमी उन्हें समझ पाएं। किन्तु देखने में आया है कि अभी भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। हिन्दी राष्ट्रभाषा होने पर भी सम्यक रूप से सरकारी कार्य में प्रयोग नहीं हो पा रही है। लगभग सभी विभागों के शासकीय कार्यों में हिन्दी को उपेक्षित किया जाता रहा है। आपसे आग्रह है कि भारतीय संघ की राजभाषा का सम्मान करते हुए आप आपने कार्यालय के समस्त कार्य हिन्दी में निपटाने की व्यवस्था करवाएं।

भाषा एवं संस्कृति विभाग का सतत प्रयत्न रहा है कि प्रदेश में हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। इसी के परिणाम स्वरूप हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग राजभाषा समारोह के उपलक्ष्य पर पुरस्कृत करता रहा है जिससे कि राजभाषा प्रयोग के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रुचि और जागरूकता को बढ़ाया जा सके। उम्मीद है कि इस प्रेरणा से प्रेरित होकर सरकारी काम-काज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो पाएगा। इस वर्ष भी राजभाषा पुरस्कार राज्य स्तरीय हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र पर 01-07-2017 से 30-06-2018 तक की हिन्दी कार्यान्वयन प्रतिशतता तथा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के नाम इस विभाग को 14 अगस्त, 2018 तक अवश्य भिजवाने की कृपा करें। आप द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर विभाग के अधिकारी किसी भी समय आपके कार्यालय में आकर हिन्दी में किए जा रहे कार्य का औचक निरीक्षण कर सकते हैं।

कुलपति

कुलपति

उत्कृ (सा.प्र.) 2018/06/08/2018



भववीय,

निदेशक, भाषा एवं संस्कृति,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

SAG  
8/8/18



## हिन्दीकरण संबंधी रिपोर्ट

- (क)
- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 1. विश्वविद्यालय का नाम .....                           |             |               |
| 2. 1.7.2017 से 30.6.2018 तक प्राप्त कुल पत्र-           | हिन्दी..... | अंग्रेजी..... |
| 3. 1.7.2017 से 30.6.2018 तक प्राप्त पत्रों की प्रतिशता- | हिन्दी..... | अंग्रेजी..... |
| 4. 1.7.2017 से 30.6.2018 तक प्रेषित पत्रों की संख्या-   | हिन्दी..... | अंग्रेजी..... |
| 5. 1.7.2017 से 30.6.2018 तक प्रेषित पत्रों की प्रतिशता- | हिन्दी..... | अंग्रेजी..... |
| 6. कार्यालय के नाम पट्टिकाओं की भाषा-                   | हिन्दी..... | अंग्रेजी..... |
| 7. कार्यालय के नाम पट्टिकाओं की प्रतिशता -              | हिन्दी..... | अंग्रेजी..... |
| 8. कार्यालय में हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता-            | हिन्दी..... | अंग्रेजी..... |
| 9. कार्यालय में कुल हिन्दी कार्य की प्रतिशतता-          | हिन्दी..... | अंग्रेजी..... |

(ख) अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा-

हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी का नाम.....  
और पदनाम.....

5-44

	<u>कुल अंक</u>	<u>प्रदत्त अंक</u>
1. हिन्दी में कार्य करने की सूझबूझ एवं क्षमता-	10	
2. कार्यालय टिप्पण/प्रारूपण हिन्दी में करने की दक्षता-	10	
3. कार्यालय के दैनिक कार्य को सभी स्तरों पर हिन्दी में निपटाने का तरीका-	10	
4. हिन्दीकरण के प्रति अन्य कर्मचारियों को प्रेरित करने का कौशल-	10	

(ख) कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा-

1. हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी का नाम.....  
और पदनाम.....

	<u>कुल अंक</u>	<u>प्रदत्त अंक</u>
1. हिन्दी में कार्य करने की सूझबूझ एवं क्षमता-	10	
2. कार्यालय टिप्पण/प्रारूपण हिन्दी में करने की दक्षता-	10	
3. कार्यालय के दैनिक कार्य को सभी स्तरों पर हिन्दी में निपटाने का तरीका-	10	
4. हिन्दीकरण के प्रति अन्य कर्मचारियों को प्रेरित करने का कौशल-	10	
5. हिन्दी टंकण में दक्षता-	10	

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर